भारत सरकार Government of India
रेल मंत्रालय Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

Office Order No. 37 of 2012

Sub: Allocation of Work to the Ministers of State in the Ministry of Railways.

Consequent upon the assumption of the charge of Minister of Railways by Shri Mukul Roy, it has been decided that following items of work will be handled at the level of Ministers of State for Railways subject to overall superintendence and guidance of the Union Minister of Railways.

Shri Bharatsinh Solanki, Minister of State for Railways – MSR(B)

i) Cases regarding write off of losses over ₹ 10 lakhs but upto ₹ 10 crores in value in respect of S&T and Mechanical Departments.

ii) Replies to unstarred Questions in Rajya Sabha along with Resolutions, Assurances and Monitoring of Assurances. However, replies to such unstarred questions will be put up to MR for his approval through MSR(B).

iii) Incentive Schemes for Production Units.

iv) Labour Legislation.

v) Complaints regarding passenger trains.

vi) Ticket Checking.

vii) Cleanliness and general upkeep of railway premises.

viii) Staff Welfare – Holiday Homes, Canteens, Co-operative Societies, Family Planning, Beautification of Railway Premises.

ix) Staff Grievances.

x) Approval of items for inclusion of Machinery and Plant costing individually between ₹ 50 lakhs and upto ₹ 5 crores.

xi) DAR cases of Group B,C & D Categories of staff of Mechanical and S&T Departments where the President is the Disciplinary/Appellate/Reviewing Authority.

xii) Social Education.

Continued/-

xiii) Cases in which it is proposed not to agree to proposals approved by Ministers of State (not holding independent charge) or Dy. Ministers in other Ministries.

xiv) Review of progress of Railway Works including Railway Colonies in the States of Gujarat, Tamil Nadu, Chhatisgarh, Bihar, Jharkhand, Uttrakhand & Assam. After visit to States, reports be sent to MR.

xv) Review of PSUs: CONCOR. Review of PUs: ICF, RCF and RWF.

xvi) Approval of items for inclusion of Rolling Stock Programme costing individually between ₹ 50 lakhs and upto ₹ 5 crores.

xvii) Consultancy Contracts of value of more than ₹ 10 crore and upto ₹ 15 crore per case in respect of Civil Engineering, Mechanical, S&T and Electrical Department including RE and Stores for Mechanical and S&T Departments.

xviii) Cases of procurement of stores of the value upto ₹ 100 crores pertaining to Electrical Department.

xix) Punctuality of trains.

xx) Safety and Security of Railways.

xxi) Passenger Services and Passenger Amenities.

xxii) Official Language.

Shri K.H. Muniyappa, Minister of State for Railways – MSR(M)

i) Cases regarding write off of losses of over ₹ 10 lakhs but upto ₹ 10 crores in value in respect of Civil Engg. & Electrical Deptt. Including RE.

ii) Incentive Schemes for Workshops.

iii) Level crossings, ROB/RUB.

iv) Complaints regarding goods traffic including POL.

v) Intermodal Traffic.

vi) Replies to Unstarred Questions in the Lok Sabha alongwith Resolutions, Assurances and monitoring of Assurances. However, replies to such unstarred Questions and all Starred Questions will be routed through MSR(M) and put up to MR for approval.

vii) Staff Welfare – Hospitals & Educational facilities.

Continued/-

viii) Cases related to Pay Commission.

ix) Engagement of Lawyers for conduct of Central Government cases at a fee of more than ₹ 1050/- per day in the Supreme Court or elsewhere.

x) Afforestation.

xi) DAR cases of Group B,C & D Categories of staff of other than those of Mechanical and S&T Departments where the President is the Disciplinary/Appellate/Reviewing Authority.

xii) Cases of procurement of stores of the value upto ₹ 100 crores pertaining to S&T Department.

xiii) Review of PSUs: KRCL. Review of PUs: DLW and DMW.

xiv) Review of progress of Railway Works including Railway Colonies in the States of Karnataka, Kerala, Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Rajasthan, Haryana & Madhya Pradesh. After visit to States, reports be sent to MR.

xv) Public Grievances.

2. All files related to above items of work of the Ministers of State for Railways will be submitted for MR's approval.

3. All the matters not expressly allocated to the Ministers of State shall be the direct concern of Hon'ble Minister.

No.2009/O&M/8/2
Dated: 21 /06/2012

(R.C. Jat)
Secretary/Railway Board

All Officers and Branches in Board's Office.
Other necessary endorsements overleaf.

Copy to:-

PS/MR, EDPG/MR,
PS/MSR(M), EDPG/MSR(M),
PS/MSR(B), Adv.(PG)/MSR(B)

The General Managers,
All Indian Railways & Production Units etc
DG/RDSO, DG/RSC.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

2012 का कार्यालय आदेश सं.37

विषय: रेल मंत्रालय में रेल राज्य मंत्रियों को कार्य का आबंटन।

श्री मुकुल रॉय द्वारा रेल मंत्री का कार्यभार संभालने के परिणामस्वरूप यह विनिश्चय किया गया है कि निम्नलिखित मदों से संबंधित कार्य रेल राज्य मंत्रियों के स्तर पर देखें जाएंगें जो केन्द्रीय रेल मंत्री के समग्र अधीक्षण और मार्गनिर्देश के अधीन होंगे।

श्री भरतसिंह सोलंकी , रेल राज्य मंत्री (बी)

(i) सिगनल एवं दूरसंचार और यांत्रिक विभागों के ₹10 लाख से अधिक परंतु ₹10 करोड़ तक के मूल्य की हानियों को बट्टे खाते में डालने से संबंधित मामले।

(ii) संकल्पों, आश्वासनों तथा आश्वासनों की मॉनिटरिंग सहित राज्य सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्नों के उत्तर। बहरहाल, ऐसे अतारांकित प्रश्नों के उत्तर रेल राज्य मंत्री (बी) के माध्यम से रेल मंत्री को उनके अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे।

(iii) उत्पादन इकाइयों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं।

(iv) श्रम कानून।

(v) पैसेंजर गाड़ियों से संबंधित शिकायतें।

(vi) टिकट चैकिंग।

(vii) रेलवे परिसरों की साफ-सफाई और सामान्य रख-रखाव।

(viii) कर्मचारी कल्याण- अवकाश गृह, कैंटीन, सहकारी समितियां, परिवार नियोजन, रेलवे परिसरों को सुन्दर बनाना।

(ix) कर्मचारियों की शिकायतें।

(x) ₹50 लाख से ₹5 करोड़ तक की लागत वाली मशीनरी एवं संयंत्र में शामिल की जाने वाली अलग-अलग मदों का अनुमोदन।

(xi) यांत्रिक और सिगनल एवं दूरसंचार विभागों के ग्रुप "बी", "सी" एवं "डी" कोटियों के कर्मचारियों के अनुशासन एवं अपील नियमों से संबंधित ऐसे मामले, जिनमें राष्ट्रपति अनुशासनिक/अपीलीय/पुनरीक्षणकर्त्ता प्राधिकारी हों।

(xii) सामाजिक शिक्षा।

(xiii) ऐसे मामले, जिनमें अन्य मंत्रालयों के राज्य मंत्रियों (जिनके पास स्वतंत्र प्रभार न हो) अथवा उप मंत्रियों द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों से सहमति व्यक्त न करने का प्रस्ताव किया गया हो।

(xiv) गुजरात, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड एवं असम राज्यों में रेलवे कॉलोनियों सहित रेलवे संबंधी कार्यों की प्रगति की पुनरीक्षा। राज्यों का दौरा करने के बाद, रिपोर्ट रेल मंत्री जी को भेजी जाएं।

(xv) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समीक्षा: कानकोर. उत्पादन कारखानों की समीक्षा: सवारी डिब्बा कारखाना, रेल कोच फैक्टरी एवं रेल पहिया कारखाना।

(xvi) ₹50 लाख से ₹5 करोड़ तक की लागत वाले रोलिंग स्टॉक कार्यक्रमों में शामिल की जाने वाली अलग-अलग मदों का अनुमोदन।

(xvii) रेल विद्युतीकरण और यांत्रिक तथा सिगनल एवं दूरसंचार विभागों के भंडारों सहित सिविल इंजीनियरी, यांत्रिक, सिगनल एवं दूरसंचार और बिजली विभाग के संबंध में ₹10 करोड़ से अधिक और ₹15 करोड़ तक के प्रत्येक मामले से संबंधित परामर्शदायी ठेके।

(xviii) बिजली विभाग से संबंधित ₹ 100 करोड़ तक के मूल्य के भंडार की खरीद के मामले।

(xix) गाड़ियों का समयपालन।

(xx) रेलवे की संरक्षा और सुरक्षा।

(xxi) यात्री सेवाएं और यात्री सुविधाएं ।

(xxii) राजभाषा।

श्री के.एच. मुनियप्पा, रेल राज्य मंत्री (एम)

(i) रेल विद्युतीकरण सहित सिविल इंजीनियरी और बिजली विभाग के ₹10 लाख से अधिक परंतु ₹10 करोड़ तक के मूल्य की हानियों को बट्टे खाते में डालने से संबंधित मामले।

(ii) वर्कशॉपों के लिए प्रोत्सोहन योजनाएं।

(iii) समपार, ऊपरी सड़क पुल/निचला सड़क पुल।

(iv) पैट्रोल, तेल और स्नेहक (पोल) सहित माल यातायात से संबंधित शिकायतें।

(v) इंटरमोडल यातायात।

(vi) संकल्पों, आश्वासनों तथा आश्वासनों की मॉनीटरिंग सहित लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्नों के उत्तर। बहरहाल, ऐसे अतारांकित प्रश्नों और सभी तारांकित प्रश्नों के उत्तर रेल राज्य मंत्री (एम) के माध्यम से भेजे जाएंगे और अनुमोदनार्थ रेल मंत्री जी को प्रस्तुत किए जाएंगे।

(vii) कर्मचारी कल्याण-अस्पताल एवं शैक्षिक सुविधाएं।

(viii) वेतन आयोग से संबंधित मामले।

(ix) सर्वोच्च न्यायालय में अथवा अन्यत्र केन्द्र सरकार के मामलों की प्रतिदिन ₹1,050/- से अधिक की फीस पर पैरवी करने के लिए वकीलों की नियुक्ति करना।

(x) वनरोपण।

(xi) यांत्रिक तथा सिगनल एवं दूरसंचार विभाग से इतर अन्य विभागों के ग्रुप "बी", "सी" और "डी" कोटियों के कर्मचारियों के अनुशासन एवं अपील नियमों से संबंधित ऐसे मामले जिनमें राष्ट्रपति अनुशासनिक/अपीलीय/पुनरीक्षणकर्त्ता प्राधिकारी हों।

(xii) सिगनल एवं दूरसंचार विभाग से संबंधित ₹ 100 करोड़ तक के मूल्य के भंडार की खरीद के मामले ।

(xiii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की समीक्षा: केआरसीएल. उत्पादन कारखानों की समीक्षा: डी.रे.का. एवं डी.आ. का.

(xiv) कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा एवं मध्य प्रदेश के राज्यों में रेलवे कॉलोनियों सहित रेलवे संबंधी कार्यों की प्रगति की समीक्षा। राज्यों का दौरा करने के बाद, रिपोर्टें रेल मंत्री जी को भेजी जाएं।

(xv) जन शिकायतें।

2. रेल राज्य मंत्रियों की उपर्युक्त मदों से संबंधित कार्य की सभी फाइलें रेल मंत्री जी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाएंगी।

3. राज्य मंत्रियों को स्पष्ट रूप से आबंटित नहीं किए गए सभी मामले सीधे माननीय मंत्री जी से संबंधित होंगे।

सं. 2009/ओ एंड एम/8/2
दिनांक: 21.6.2012

(आर. सी. जाट)
सचिव/रेलवे बोर्ड

बोर्ड कार्यालय के सभी अधिकारी एवं शाखाएं।

प्रतिलिपि प्रेषित:

नि.स./रे.मं., का.नि. जन शि./रे.मं.,
नि.स./रे.रा.मं. (एम), का.नि. जन शि./रे.रा.मं. (एम),
नि.स./रे.रा.मं. (बी), सलाह. (जन शि.)/रे.रा.मं. (बी)

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां आदि
महानिदेशक/अ.अ.मा.सं., महानिदेशक/रेलवे स्टाफ कॉलेज।